who have been benefited in 1996-97 is being collected from the concerned State Govts./U.T. Administrations.

Grants to Indian Spinal Injury Centre, New Delhi

1389. DR. D. VENKATESHWAR RAO: Will the MINISTER OF WELFARE be pleased to state:

(a) the grants given to the Indian Spinal Injury Centre, New Delhi so far; and

(b) the steps proposed to start such centres in the interior of the country for the benefit of rural poor disabled?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA): (a) A sum of Rs. 2.5 crores has been released as grant to the Indian Spinal Injuries Centres, New Delhi.

(b) At present no porposal for setting up such Super Speciality centres in rural areas is under consideration of the Government.

Legislation to protect the rights of persons with Disabilities

1390. DR. D. VENKATESHWAR RAO: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) how Government ensures the implementation of the legislation to protect the rights of persons with disablities;

(b) why the report of the Disabilities Chief Commissioner not laid in the Parliament; and

(c) the steps proposed to inform Parliament from time to time about the welfare measures taken towards disabled persons?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA): (a) Appropriate Governments ensure the implementation of the persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 by making necessary institutional arrangements and implementating various programmes for the people with disabilities within the limits of their economic capacity and development. Institutional arrangements include:

(i) setting up of the Central Coordination Committee by the Central Government and State Coordination Committees by State/UT Governments.

(ii) setting up of Central Executive Committee by Central Government and State Executive Committees by State/UT Governments.

(iii) Appointment of Chief Commissioner for persons with Disabilities by Central Government and Commissioner for persons with Disablities by State/UT Governments.

(b) and (c) Central Government shall cause the Annual Report submitted by Chief Commissioners to be laid before each house of the Parliament giving full account of his activities during the previous financial year.

Chief Commissioner for persons with Disablities has been recently appointed vide Government order dated 5th June, 1997. As per rules, Chief Commissoner shall, as soon as possible after the end of

the finanical year not later than 30th day of September in the next year shall prepare and submit an Annual Report to the Government. The Report will be laid before the Parliament as and when received from the Chief Commissioner during 1998.

कच्छ में स्थानीय जनजाति और बंजारा समुदाय की संख्या का आकलन

1391. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला:** क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने क्षेत्रवार स्थानीय जनजाति की संख्या का कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो कच्छ और बनासकांठा में बंजारा समुदाय और अन्य जनजातियों की कुल संख्या क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा कच्छ और बनासकांठा में ऐसी जनजातियों की पहचान कर ली गई है;

(घ) क्या गत एक दशक में उन जनजातियों की संख्या में कोई परिवर्तन हुआ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया): (क) समय-समय पर यथा-संशोधित संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 के अधीन केवल उन जनजातियों के संबंध में जनसंख्या के आंकड़ों का आकलन जनगणना में किया जाता है जिन्हें विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(ख) भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के खंड (1) के अधीन राष्ट्रपति की अधिसूचना में बंजारा समुदाय को गुजरात राज्य में शामिल नहीं किया गया है। तथापि गुजरात के केवल कच्छ जिले में कुछ ही समुदायों को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 की सूची में कोई नई जाति या जनजाति को शामिल अथवा उससे हटाया नहीं गया।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1978 के तहत अनुसूचित जनजातियों के रूप में अधिसूचित किया गया है। सन् 1991 की जनगणना से संबंधित जनजाति-वार जनसंख्या के आंकड़ों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। इसलिए 1981 की जनगणना के अनुसार इन जनजातियों की जनसंख्या नीचे दी गई है:—

केवल कच्छ जिले में क्षेत्रीय नियंत्रण के साथ अधिसूचित अनुसूचित जनजाति का नाम	1981 की जनगणना
1. कोली	7,877
2. पराधी	4,416
3. बागड़ी	7,806

इसके अतिरिक्त, 1981 की जनगणना के दौरान, जैसा कि कच्छ और बनासकांठा से विवरण दिया गया है, सम्पूर्ण गुजरात में अधिसूचित सभी अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का विवरण, विवरण-I के रूप में सभा पटल पर रखा जाता है (नीचे देखिए)।

(ग) संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 के अंतर्गत गुजरात राज्य के लिए राष्ट्रपति के आदेशों के माध्यम से जो जनजातियां अधिसूचित की गई हैं उनसे संबंधित विवरण, विवरण-II के रूप में सभा पटल पर रखा जाता है (नीचे देखिए)।

(घ) पिछले एक दशक के दौरान उन जनजातियों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आया है क्योंकि अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 की सूची में कोई नई जाति या जनजाति को शामिल अथवा उससे हटाया नहीं गया।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।